

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित स्पष्ट वन संरक्षक [द्वारा भरा जाएगा])

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति ~~जो नी-देवलीयत है और बाल ने इसलोरमहादेव जौजा के प्रदर्शी बावा~~  
~~तक कोट्टर भावा।~~

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र ~~उत्तराखण्ड~~

(ii) जिला ~~अल्मोड़ा~~

(iii) जिला वन प्रभाग ~~अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा~~

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र ~~2.205 हेक्टर~~

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रासिथिति: ~~आरक्षित, वनपंचायत से दिविल वन भूमि~~

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा: ~~कोई~~

(i) वन का प्रकार ~~ओपन फारेस्ट~~

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व ~~3~~

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना ~~संलग्न है~~

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा ~~कोई नहीं~~

19. भूक्षण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी ~~भूक्षण की लम्बाई~~

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: ~~अम्ब~~

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता ~~निश्चेतन नहीं~~

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा ~~भृत्यप्रबन्ध वन्य जीव विवरण~~

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर, वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और उपावद्व किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावद्व की जाए) ~~नहीं~~

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित हैं। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्व की जाए) ~~नहीं, निर्धारित स्तर से कहर~~

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्व की जाए) ~~नहीं~~

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किरम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके व्यौरे ~~नहीं~~

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक रथापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्व किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें) ~~नहीं~~

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें: ~~वर्तीजन और विकास की सम्भावना नहीं, अतिष्ठ और चिल्हन हेतु पृष्ठक से सख्त प्रलिप्त~~  
~~करना चाहा~~

(i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। ~~अपरिहार्य से अनतर्ज बल अमि है~~

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। हाँ/ नहीं

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है  
हाँ/ नहीं

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है हाँ/ नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। सिविल है/ नहीं वन अभी

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे हैं। सिविल है/ नहीं वन अभी

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं। हाँ

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : कर्तृता

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/ नहीं)

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

प्रस्ताव स्वीकृति के स्वतंत्रता

स्थान: अलोहा

तारीख: २७-१०/१६

(कृष्ण श्री श्रावण)  
हस्ताक्षर द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा  
द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा  
द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा